रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 2, 2016/पौष 12, 1937
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 2, 2016/PAUSA 12, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2015

का. आ. 11 (अ).—यत: मै. ओरिएंट क्राफ्ट इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ने हरियाणा राज्य के बांस हरिया, झुंड सराय तथा बांगरोला गांव, जिला गुड़गांव में वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है ;

और, यत: केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमश: 114.8318 हेक्टेयर, 20.4423 हेक्टेयर और 6.8290 हेक्टेयर अधिसूचना संख्याओं का. आ. 578 (अ) दिनांक 13 अप्रैल, 2007, का. आ. 2598 (अ) दिनांक 19 अक्तूबर, 2010 और का. आ. 110 (अ) दिनांक 19 जनवरी, 2011 के अनुसार क्षेत्र को अधिसूचित किया है;

और, यत: मै. ओरिएंट क्राफ्ट इफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 142.1031हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यत: हरियाणा सरकार ने अपने पत्र सं. ईएक्सपी/एसईजेड/8/ओरिएंट क्राफ्ट/4758-ए, दिनांक 16 अप्रैल, 2013 के तहत इस प्रस्ताव को ''अनापत्ति'' प्रमाण पत्र दे दिया है;

और, यत: विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 142.1031हेक्टेयर के समस्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अत: इसलिए केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोडकर, रद्द करती है ।

[फा. सं. एफ.2/55/2005-एसईजेड]

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2015

S. O. 11(E).—Whereas M/s. Orient Craft Infrastructure Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Textile at Villages Bans Hariya, Jhund Sarai and Bangrolla, District Gurgaon in the State of Haryana;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 114.8318 hectares, 20.4423 hectares and 6.8290 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 578 (E) dated 13th April, 2007, S.O. 2598 (E) dated 19th October, 2010 and S.O 110 (E) dated 19th January, 2011;

And, whereas, M/s. Orient Craft Infrastructure Limited has proposed to de-notify the entire area of 142.1031 hectares of the above Special Economic Zone;

And, whereas, the State Government of Haryana has given its "No Objection" to the proposal vide letter No. Exp/SEZ/8/M/s. Orient Craft/4758-A dated 16th April, 2013;

And, whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 142.1031 Hectares of the Special Economic Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/55/2005-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.